(नियम 26)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

1. अमरकंवर पत्नी हरनाथसिंह जी चूण्डावत उम्र वयस्क निवासी बी 250 सुभाषनगर, भीलवाड़ा

—प्रार्थीया

बनाम

1. बीएचएल एग्रीफूड पार्क प्राईवेट लि0 जरिये डायरेक्टर लालचन्द सिंधी निवासी ए 15 कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा
2. चंद्रप्रकाश सिंधी उम्र वयस्क निवासी ए 15 कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा

किस्म मुकदमा 212 रा.टि.ए. —विपक्षीगण

प्रकरण सं. 241/सन् 2024

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.05.2024 | प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश हुई । वकील प्रार्थीया उपस्थित । वकील प्रार्थीया के निवेदन पर धारा 212 रा.टि.एक्ट के प्रार्थनापत्र में अन्तरिम स्थगन हेतु बहस सुनी गयी । बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम जिपिया प0 ह0 मालोला में प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी संख्या 412/299, 413/298, 414/298, 482/411, 484/457 कुल किता 05 कुल रकबा 4. 0035 है0 भूमि स्थित है जिसमें से आराजी संख्या 482/411 व 484/457 नेशनल हाईवे सिक्स लाईन से सटा होकर इसका रोड़ साईड फ्रंट करीब 440 फीट का है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात की पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजियात स्थित है। विपक्षीगण का प्रार्थीया की उक्त आराजियात संख्या 482/411 व 484/457 से कोई लेना—देना नहीं है और प्रार्थीया की इन आराजियात में विपक्षीगण की आराजियात के मध्य करीब 20—25 वर्ष पूर्व से थोहर व पत्थरों की कच्ची बाड़ बनी हुई है। कल दिनांक 28.05.2024 को विपक्षीगण जेसीबी मशीन लेकर प्रार्थीया की उक्त आराजियात पर आए और प्रार्थीया की आराजी संख्या 482/411 व 484/457 में अन्दर घुसकर जेसीबी मशीन से 2 फीट गहरी नीवें खोद दी और प्रार्थीया की करीब 100 फीट फ्रन्ट की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाह रहे है और प्रार्थीया व उसके परिवारजन द्वारा मना करने पर लड़ाई—झगड़ा करने पर आमादा हो रहे है, जिससे विपक्षीगण को स्थगन का आदेश दे। पाबंद व प्रतिबंधित कराया जावे कि वे प्रार्थीया की आराजी संख्या 482/411 व 484/457 वाके ग्राम जिपिया के किसी भी हिस्से में नींवे खोदकर नाजायज निर्माण नहीं करावे और इन आराजियात के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे और प्रार्थीया के उपयोग—उपभोग में कोई दखल अंदाजी नहीं करे।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर मनन किया। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है । प्रार्थीया की उक्त आराजी संख्या 482/411 व 484/457 वाके ग्राम जिपिया प0 ह0 मालोला की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26—06—2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार अधिपत्य की उक्त आराजी संख्या 482/411 व 484/457 वाके ग्राम जिपिया प0 ह0 मालोला में किसी भी हिस्से पर नींवे खोदकर कोई कब्जा नहीं करे और इन आराजियात से प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे। विपक्षीगण के नोटिस रजिस्टर्ड सम्मन जारी कर वास्ते सुनवायी हेतु पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को पेश हो ।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर<br>भीलवाड़ा<br>उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा | |

26/6/24 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 23/10/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

~~14/11/24~~ 23/10/24 → पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षीगण के समन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए है। प्रकरण वास्ते तलबी दि० 12/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

12/11/24 → पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया एवं प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित नहीं। तीन बार आवाज लगाई गई उसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं। पूर्व में जारी अन्तिम अवसर निषेधाज्ञा जारी दिनांक 29/08/24 को खारिज करते हुए प्रकरण प्रार्थिया की अदम हाजिरी प्रार्थिया ~~अधिकारी~~ व अधिवक्ता की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा